

फर्द अहकाम

गीतादेवी बनाम शुभाष डेवी

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या... 27/2022

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
25/3/25 Hot Press 25/3/25	25/3/25	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान वकील उपख वकील प्राची ने प्राचीना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर नोटप्रेस अंकित कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>अतः प्राची का प्राचीना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को नोटप्रेस के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं. से कम हो दाखिल दफ्तर रहे।</p>

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला - (जयपुर)